area or jurisdiction in which the person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, the attachment order may be sent to the owner or person simultaneously by speed post with proof of delivery at the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works or last worked for gain.

4. **Service of attachment order on corporate bodies, societies and trusts, etc.—**(1) (a) The attachment order on corporate bodies, societies and trust etc., shall be effected by serving it on the secretary, local manager or the principal officer of the corporate bodies, societies and trust etc., or by letter sent by speed post addressed to the chief officer of such bodies in India, in which case the service shall be deemed to have been effected.

(b) If the service cannot be effected as provided in clause (a), the serving officer shall affix one of the duplicate of the attachment order at some conspicuous part of the premises in which the office of the corporate body, society and trust etc., carries on business or has last carried on business.

(2) If the service cannot be effected under sub-rule (1), then the attachment order shall be published in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation in the area or jurisdiction where the corporate body, society and trust etc., carries on business or has last carried on business.

IndiaCode

[F. No. 6/3/2017-FSLRC]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

सा.का.नि.805(अ).—केंद्रीय सरकार, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भगोड़ा आर्थिक अपराधी (भगोड़ा आर्थिक अपराधी की घोषणा के लिए लिए आवेदन)नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भगोड़ा आर्थिक अपराधी की घोषणा (आवेदन फाईल करने का प्रारुप और रीति) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्राधिकृत अधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो उपनिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ख) "अधिनियम" से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) अभिप्रेत है।

(2) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है।

3. **किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रुप में घोषणा करने के लिए आवेदन का प्ररुप और रीति**—(1) यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित सामग्रियों से युक्त एक अनुक्रमणिका तैयार करेगा अर्थात्:—

(i) किसी ऐसे व्यक्ति विरुद्ध जिसके बारे में भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने का विश्वास है, भारत के किसी न्यायालय द्वारा जारी किसी अनुसूचित अपराध के अभियोजन संबंध में गिरफ्तारी वारंट की प्रति;

(ii) ऐसा विश्वास करने के कारणों का कथन कि कोई व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी है;

(iii) किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके बारे में भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने का विश्वास है, ठिकाने के बारे में उपलब्ध किसी जानकारी पर कथन;

(iv) ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने का विश्वास है, भारत वापस लाने के लिए किए गए प्रयास का कोई सबूत;

(v) संपत्तियों की सूची या ऐसी संपत्तियों का मूल्य जिनके बारे में अपराध के आगम होने का विश्वास है, जिसके अंतर्गत भारत के बाहर की कोई ऐसी संपत्ति भी है जिनके अधिहरण की ईप्सा की गई है;

(vi) भारत में या विदेश में किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके बारे में भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने का विश्वास है, स्वमित्वाधीन ऐसी संपत्तियों या बेनामी संपत्ति की सूची, जिनके अधिहरण की ईप्सा की गई है;

(vii) बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जारी अधिहरण आदेश की प्रति, यदि कोई हो; और

(viii) ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनका खंड (v) और खंड (vi) के अधीन सूचीबद्ध संपत्तियों में से किसी संपत्ति में कोई हित हो ।

(2) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई अनुक्रमणिका और सामग्री का प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होंगे और उसे संदर्भ संख्या और प्रेषण की तारीख उपदर्शित करते हुए मुहरबंद लिफाफे में विशेष न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा ।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी, अभिस्वीकृति स्लिप रजिस्टर, डाक रजिस्टर जैसे रजिस्टर और अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जैसे ही सामग्री के साथ आदेश की प्रति विशेष न्यायालय को अग्रेषित की जाती है, रजिस्टर में तुरंत आवश्यक प्रविष्टियां कर ली जाएं।

[फा.सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2018.

G.S.R. 805(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) and in supersession of the Fugitive Economic Offenders (Application for Declaration of Fugitive Economic Offender) Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement**.—(1) These Rules may be called the Declaration of Fugitive Economic Offenders (Forms and Manner of Filing Application) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "authorised officer" means any officer not below the rank of Deputy Director authorised by the Director for the purposes of these rules;

(b) "Act" means the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018).

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Form and manner of application for declaring an individual as a fugitive economic offender.**—(1) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall prepare an index containing the following materials, namely:-

(i) a copy of a warrant of arrest in relation to prosecution of a Scheduled Offence against the individual believed to be a fugitive economic offender issued by any Court in India;

(ii) a statement of reasons to believe that an individual is a fugitive economic offender;

(iii) a statement on any information available as to the whereabouts of the individual believed to be a fugitive economic offender;

(iv) any proof of effort undertaken to bring the individual believed to be a fugitive economic offender back to India;

(v) a list of properties or value of such properties believed to be the proceeds of crime, including any such property outside India for which confiscation is sought;

(vi) a list of properties or benami property owned by the individual believed to be a fugitive economic offender in India or abroad for which confiscation is sought;

(vii) a copy of a confiscation order issued by the Adjudicating Authority under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988, if any;

(viii) a list of persons who may have an interest in any of the properties listed under clauses (v) and (vi).

(2) The index and material prepared under sub-rule (1) shall be signed on each page and forwarded to the Special Court in a sealed envelope, indicating a reference number and date of despatch.

(3) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register and dak register and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as a copy of the application along with the materials are forwarded to the Special Court.

[F.No. 6/3/2017-FSLRC]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 806(अ)--केंद्रीय सरकार, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पठित उपधारा (1) और धारा 12 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भगोड़ा आर्थिक अपराधी (विशेष न्यायालयों के आदेश की सूचना की तामील और उसके निष्पादन के लिए संविदाकारी राज्यों को अनुरोध पत्र भेजने की प्रक्रिया) नियम, 2018 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम भगोड़ा आर्थिक अपराधी (संविदाकारी राज्यों को अनुरोध पत्र भेजने की प्रक्रिया) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—